न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 01/2017

दायर दिनांकः 08.05.2017

निर्णय दिनांक 28.04.2025

—: अनवान :—

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजमसन्द — **प्रार्थी**

बनाम

श्री फतहलाल पिता शेषमल महाजन (कच्छारा) नि0 कांकरोली के बजाय
1/1 श्री मनोहर पिता स्व. श्री फतहलाल (महाजन) कच्छारा नि0 कांकरोली
1/2 श्री बालुलाल पिता स्व. श्री फतहलाल (महाजन) कच्छारा नि0 कांकरोली
1/3 श्री रोशन लाल पिता स्व. श्री फतहलाल (महाजन) कच्छारा नि0 कांकरोली
1/4 श्री राजेश पिता स्व. श्री फतहलाल (महाजन) कच्छारा नि0 कांकरोली
1/5 श्रीमती चतर देवी पुत्री स्व. श्री फतहलाल (महाजन) कच्छारा निवासी चारभुजा जिला राजसमन्द — **अप्रार्थी**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता।
2— श्री महेश पगारिया अधिवक्ता अप्रार्थी ।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 5828/2016 अनवान् मनोहरलाल पुत्र स्व. फतेहलाल वगैराह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 158/06 प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2008 व प्रकरण संख्या 16/2011 प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया गया कि **" प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88(2) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है या धारा 82 के अंतर्गत । तत्पश्चात् ही सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुनः नियमानुकुल निर्णय इस निर्णय से 3 माह की अवधि में पारित करे। "**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजमसन्द द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त रेफरेंस कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में राजस्व स्वामित्व के नदी, नालों, तालाबों, झीलों आदि की दिनांक 15.08.1947 की स्थिति को बहाल किये जाने को लेकर है। अतः प्रस्तुत प्रकरण रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पाये जाने से प्रकरण रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। जिस पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश पगारिया उपस्थित हुए। व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मेवाड़ सेटलमेन्ट की पर्चा खतोनी संवत् 1998 में ग्राम एमडी का खसरा संख्या 1 रकबा 101–15 बीघा में से किस्म नदी रकबा 97–00 बीघा व किस्म मशान रकबा 4–19 बीघा बिलानाम गैर मुमकीन अंकित भूमि थी। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2022 में खसरा नं. 1 से खसरा नं. 1 मीन बना है उसके नये खसरा नं. 17 रकबा 96–00 बीघा बने है। जिसमें से किस्म नदी रकबा 94–10 बीघा व किस्म पाल रकबा 00–12 बीघा तथा किस्म रास्ता 00–18 बीघा बने है। यही प्रविष्टी नकल जमाबन्दी संवत 2031–34 में भी अंकित थी। ख0नं0 17 में से 05 बीघा भूमि आवंटन से श्री शंकरलाल पिता खुमचंद महाजन निवासी कांकरोली के नाम पर ना०स० 83 से राजस्व रेकार्ड में अंकित हुयी थी जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जरिये ना०स० 274 से विक्रय के आधार पर अप्रार्थी के नाम पर ख0नं0 17/1/9801 क रकबा 05.00 बीघा नहरी III अंकित होकर जरिये शुद्धि पत्र के ख0नं0 17/5 रकबा 05.00 बीघा नहरी III अंकित हैं। इस प्रकार इस प्रकार अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि गत सेटलमेन्ट व मेवाड सेटलमेन्ट के दौरान किस्म नदी बिलानाम गैर मुमकीन अंकित भूमि थी। अतः अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में ख0नं0 17/5 रकबा 05.00 बीघा किस्म नहरी III अंकित भूमि को अप्रार्थी के नाम से हटाकर पुनः पूर्ववत् राजस्व अभिलेख में बिलानाम गैर मुमकिन किस्म नदी दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा यह रेफरेंस धारा 88 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। पूर्व में विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा माननीय रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में रिविजन पेश की गई, जो स्वीकार की जाकर एक तरफा निर्णय को निरस्त करते हुऐ प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु आप न्यायालय को रिमाण्ड किया गया और यह भी निर्देशित किया गया कि यह प्रकरण धारा 88(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत है, अथवा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत । तदनुसार आप न्यायालय द्वारा प्रकरण धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश होना माना जाकर सुनवाई की गई। विवादित आराजी से 17/1 संशोधित 17/5 रकबा 5 बीघा राजस्व ग्राम एमडी विपक्षी श्री फतहलाल के नाम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

खातेदारी में दर्ज होकर किस्म नहरी III है। विवादित भूमि में वर्तमान में न तो नदी स्थित है, न ही नदी होने के सम्बन्ध में कोई चिन्ह या अलामात ही मौजूद है। आस पास कास्त भूमियॉ व आबादी क्षेत्र स्थित है। प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर गलत रेफरेन्स पेश किया गया है। विवादित भूमि विपक्षी के पूर्वाधिकारीयों को मन्दीर भण्डार कांकरोली द्वारा जरिये पट्टा विक्रय की गई थी। विपक्षी Bonafied Purchaser for Value है। किस्म भूमि नहरी III है। जिसे दौराने कार्यवाही बिलानाम गैर काबिल कास्त दर्ज कर दिया गया । नदी–नाला का कभी अस्तित्व नही रहा। विवादित भूमि के सन्दर्भ में पूर्व में चले विवाद में माननीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा पूर्वाधिकारी श्री शंकर लाल एवं श्री भंवरलाल के पक्ष में निर्णय पारित होकर खातेदारी आधकारों की पुष्टि की गई। इस मामले में विवादित भूमि जो कि विपक्षी के खातेदारी में दर्ज थी, के आस पास कोई नदी–नाना स्थित नहीं था, न वर्तमान में ही है। इस प्रकरण में अब्दुल रहमान वाला निर्णय लागू नही होता है। पडोस में ही स्थित अ.न. 17/1 व 17/7 की भूमि के संबंध में भी तहसीलदार महोदय द्वारा एक रेफरेन्स पेश किया गया था, वह रेफरेस भी आप न्यायालय द्वारा दि. 29–3–2010 को खारिज फरमा दिया गया था। अतः निवेदन है कि विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत यह रेफरेन्स निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि पुनः विपक्षीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार मेवाड़ सेटलमेन्ट की पर्चा खतोनी संवत् 1998 में ग्राम एमडी का खसरा संख्या 1 रकबा 101–15 बीघा में से किस्म नदी रकबा 97–00 बीघा व किस्म मशान रकबा 4–19 बीघा बिलानाम गैर मुमकीन अंकित भूमि थी। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2022 में खसरा नं. 1 से खसरा नं. 1 मीन बना है उसके नये खसरा नं. 17 रकबा 96–00 बीघा बने है। जिसमें से किस्म नदी रकबा 94–10 बीघा व किस्म पाल रकबा 00–12 बीघा तथा किस्म रास्ता 00–18 बीघा बने है। यही प्रविष्टी नकल जमाबन्दी संवत 2031–34 में भी अंकित थी। ख0नं0 17 में से 05 बीघा भूमि आवंटन से श्री शंकरलाल पिता खुमचंद महाजन निवासी कांकरोली के नाम पर ना०स० 83 से राजस्व रेकार्ड में अंकित हुयी थी जो राजस्व रेकार्ड में जरिये ना०स० 274 से विक्रय के आधार पर अप्रार्थी के नाम पर ख0नं0 17/1/9801 क रकबा 05.00 बीघा नहरी III अंकित होकर जरिये शुद्धि पत्र के ख0नं0 17/5 रकबा 05.00 बीघा नहरी III अंकित हुई। तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द रेफरेन्स 158/06 निर्णय दिनांक 26.08.2008 की पालना में वर्तमान में ग्राम एमडी का खसरा नं. 17/5 रकबा 5–00 बीघा किस्म नदी बिलानाम गैर काबिल कास्त नदी दर्ज रिकॉर्ड है। रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि की मूलतः किस्म नदी भूमि है, जिस पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अप्रार्थी कानूनन् अधिकारिता नहीं रखता है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी,नाला,नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रतिबन्धित भूमियों पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम एमडी तहसील राजसमन्द के खसरा नम्बर 17/5 रकबा 05–00 बीघा किस्म नदी भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त का अनुमोदन हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

28/4

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद